


फर्द अहकाम

कैलाश कबनाम बाबूलाल वर्मा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या 172/2024 ए. ए.

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24 ⁰³ / ₂₆	<p>पेशाब पेशाना जारी की कोर्ट कोर्ट उपस्थित नहीं। व्यापारिक समय के दौरान बार-बार मायाज लागते के बाद की जारी की कोर्ट कोर्ट उपस्थित नहीं आते के कारण जारी का जारी पर ए. ए. नदम हाजरी एवं अदम पेशी के उपरिज किया जाता है पत्रावली कुशल सुमर होकर दर्जे काल के काल हो बाद उपस्थित उपरिज ही</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़) </p>	